

# झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

नवीन पुलिस लाईन रोड, सी0एम0 हाउस के सामने, कांके रोड, राँची – 834008.

## सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची ने (1) Draft JSERC (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulation, 2020, (2) Draft JSERC (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff ) Regulation, 2020, (3) Draft JSERC (Terms and Conditions for Determination of Distribution Tariff) Regulations, 2020 (4) Draft JSERC (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Electricity Ombudsman) Regulations, 2020 एवं (5) Draft JSERC (Levy and Collection of Fees and charges by SLDC) Regulations 2020 का प्रारूप आयोग के वेबसाइट ([www.jserc.org](http://www.jserc.org)) पर क्रमांक 1 से 4 को दिनांक 27.08.2020 को जारी करते हुए दिनांक 18.09.2020 तक एवं क्रमांक 5 को दिनांक 15.07.2020 को जारी करते हुए दिनांक 06.08.2020 तक आपत्ति/सुझाव/मंतव्य मांगा था ।

उपरोक्त विनियमन के प्रारूप को अंतिम रूप देने के पूर्व एवं पारदर्षिता बरतने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची के द्वारा वर्चुअल जन-सुनवाई (वीडीयो सम्मेलन एवं मोबाइल कॉल के माध्यम से) निम्नलिखित तिथियों एवं समय पर निर्धारित की गई है :-

विनियमन	तिथि एवं समय
<b>Draft JSERC (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff ) Regulation, 2020 एवं Draft JSERC (Levy and Collection of Fees and charges by SLDC) Regulations 2020</b>	7 अक्टूबर 2020 (बुधवार) को 2:30 बजे अपराह्न से
<b>Draft JSERC (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulation, 2020</b>	8 अक्टूबर 2020 (सोमवार) को 2:30 बजे अपराह्न से
<b>Draft JSERC (Terms and Conditions for Determination of Distribution Tariff) Regulations, 2020</b>	9 अक्टूबर 2020 (शुक्रवार) को 2:30 बजे अपराह्न से
<b>Draft JSERC (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Electricity Ombudsman) Regulations, 2020</b>	12 अक्टूबर 2020 (सोमवार) को 2:30 बजे अपराह्न से

उपरोक्त वर्चुअल जन-सुनवाई (वीडीयो सम्मेलन एवं मोबाइल कॉल के माध्यम से) में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित विनियमन को जनसुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व संध्या 07 .00 बजे तक या उससे पहले तक, अपने को पंजीकृत कर, जनसुनवाई में भाग ले सकते हैं । वर्चुअल जन-सुनवाई में भाग लेने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया संबंधी विवरण आयोग के वेबसाइट [www.jserc.org/registration\\_regulation.pdf](http://www.jserc.org/registration_regulation.pdf) पर भी उपलब्ध है । वर्चुअल जन-सुनवाई के संबंध में किसी भी प्रश्न/ स्पष्टीकरण के लिए आयोग से +91-9955355465/8507412350 या Email: [secretary@jserc.org](mailto:secretary@jserc.org) पर संपर्क कर सकते हैं ।

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन-सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव, आपत्तियाँ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेशानुसार

सचिव